

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय : डा० अभिषेक कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, मसौढ़ी, पटना का दिनांक-28.08.2023 से 15.03.2024 तक प्रभार रहित अवधि के विनियमन के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि डा० अभिषेक कुमार, को विभागीय अधिसूचना संख्या-696(17) दिनांक-25.08.2020 द्वारा नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल, पटना में ट्युटर पद पर पदस्थापित किया गया। उक्त आलोक में डा० कुमार द्वारा दिनांक-28.08.2020 के पूर्वाह्न में अधीक्षक कार्यालय नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना में योगदान कर प्रभार ग्रहण किया गया।

विभागीय अधिसूचना संख्या-620(17) दिनांक-12.08.2021 द्वारा डा० कुमार को सीनियर रेजिडेन्ट (ई०एन०टी०) के पद पर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बेतिया, पश्चिम चम्पारण में पदस्थापित किया गया। टेन्योर समाप्ति के उपरांत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बेतिया, पश्चिम चम्पारण के ज्ञापांक-1574 दिनांक-27.08.2023 के द्वारा विरमित किया गया। उक्त के आलोक में डा० कुमार द्वारा दिनांक-28.08.2023 को पदस्थापन की प्रतीक्षा में विभाग में योगदान समर्पित किया गया। विभागीय अधिसूचना संख्या 356(2), दिनांक 15.03.2024 के द्वारा डा० अभिषेक कुमार को अनुमंडलीय अस्पताल, मसौढ़ी, पटना में पदस्थापित किया गया। उक्त आलोक में डा० कुमार द्वारा दिनांक-16.03.2024 के पूर्वाह्न में अधिसूचित पद का प्रभार ग्रहण किया गया। डा० कुमार के द्वारा दिनांक-28.08.2023 से 21.09.2023 तक एवं 25.09.2023 से 15.03.2024 की अवधि में उपस्थिति दर्ज की गयी है।

अतः डा० अभिषेक कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, मसौढ़ी, पटना का दिनांक-28.08.2023 से 15.03.2024 तक के प्रभार रहित अवधि को निम्नवत विनियमित किया जाता है:-

i.	दिनांक-28.08.2023 से 21.09.2024 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।
ii.	दिनांक-22.09.2023 से 24.09.2023 तक	--	कुल-03 (तीन) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में। (वित्त (वै०दा०नि० को०) विभाग, पटना के पत्रांक-1389(25) दिनांक-07.07.2025 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-230 के आलोक में।)
iii.	दिनांक-25.09.2023 से 15.03.2024 तक		पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।

2. प्रस्ताव में वित्त विभाग, बिहार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह० / -

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/सांघि०पदा०-103/2024-170(25) पटना, दिनांक 29/01/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकर (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, मसौढ़ी, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० अभिषेक कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, मसौढ़ी, पटना/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Waman K. 21/1/26
सरकार के उप सचिव।
५